कार्यालय टिप्पणी

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

यू.ओ. नोट

विषय : मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले देय मुआवजा स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड के स्थान परिवर्तन के क्रम में।

128 उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में आदेशित किया जाता है कि मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में ग्राम सुल्तानपुरा में अवाप्त की गई भूमि खाता सं. 1/82/1 पार्ट 13 के सम्बन्धित अवाप्ती खातेदारों वारिसानों को नकद मुआवजे के स्थान पर 15 प्रतिशत भूमि मुआवजा स्वरूप दिए जाने के क्रम में मण्डल द्वारा "भूमि समझौता समिति" में निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार द्वारा विकसित भूखण्ड देने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया तथा इस क्रम में राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक [illegible].2013 भी प्राप्त हो चुकी है।

129 प्रकरण में अवाप्त भूमि के विरुद्ध मुआवजा स्वरूप प्रस्तावित देय विकसित भूखण्ड पूर्व से ही दूसरे प्रकरण में प्रस्तावित होने के कारण नहीं दी जा सकी तथा पूर्व में प्रस्तावित भूखण्ड का अन्य प्रकरण में मण्डल द्वारा दिये जाने का निर्णय किया जा चुका है।

130 खातेदारों वारिसान के [illegible] द्वारा लगातार राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुरूप भूखण्डों की मांग की जा रही है। इसलिए इसके स्थान पर इसी योजना में वीर तेजाजी रोड पर समान क्षेत्रफल का विकसित आवासीय भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है तथा पूर्व प्रस्तावित व वर्तमान प्रस्तावित भूखण्ड समान चौड़ाई 200 फीट के रोड पर स्थित है। पूर्व स्वीकृत एवं वर्तमान प्रस्तावित भूखण्डों की आरक्षित दर समान है तथा प्रस्तावित भूखण्ड पूर्व [illegible] आवासीय भूखण्डों की प्रकृति का है व इस योजना में इसके अलावा अन्य आवासीय भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। साथ ही प्रस्तावित भूखण्ड खातेदार की अवाप्त भूमि के पास इसी योजना में स्थित है।

131 अतः उक्तानुसार प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अनुरूप देय मुआवजा स्वरूप विकसित आवासीय भूखण्ड आवेदकानुसार मानसरोवर योजना में दिये जाने हेतु राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जाना है। राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले पत्र में उक्त वर्णित तथ्यों को समाहित करते हुए प्रेषित किए जाने वाले पत्र की प्रति संलग्न है जिसे जांच भी करते हुए पत्रावली नियमानुसार हस्ताक्षरित कर राज्य सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें एवं पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(परसराम मोरदिया)
अध्यक्ष
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

क्रमांक : यू.ओ. नोट/निजी सचिव/मा. अध्यक्ष/P-583 दिनांक : 13.11.13

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर।

कार्यालय टिप्पणी

188 On perusal of the records (Page-3 - Check slip & page 66(c)) it seems that the concerned officers have suppressed the above fact and misled the LNC to taking a decision. Therefore the following action is proposed to be taken;

1) Cancel the Palla Washed Washed vide approval under form 98/N.
2) The matter be put up again before LNC for a decision after court order.
3) Govt. be informed that the directions issued by them regarding Washed of Palla in this case can't be complied with for the above reasons.
4) Appropriate disciplinary action may be initiated against those officers who have mis-represented the facts.

20/12/13

Chairman Sr

ACS/UDH

As proposed
25/12

CH

26/12/13

30/12/13

170

171

03/1/14

EM(L)/AHO/05

Regd - 26452
26/12/13

AC/3260
26-12-13

SM 2889
26/12/13 169

170